



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012025-259913
CG-DL-E-04012025-259913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]
No. 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/108/2017/डीडी/114/2017/डीसी/1662/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. अरुणाभा चट्टोपाध्याय (सदस्यता संख्या 058457), 74, पूर्वांचल रोड, उत्तर, बिधान रोड के बगल में, कोलकाता-700078), को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी ठहराया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. अरुणाभा चट्टोपाध्याय (सदस्यता संख्या 058457) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर उक्त जुर्माने के संदाय में व्यक्तिगत दशा में उसके नाम को 30 (तीस) दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20

की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. अरुणाभा चट्टोपाध्याय (सदस्यता संख्या 058457) का नाम 3 जनवरी, 2025 से 03 (तीन) मास और 30 (तीस) दिन की समेकित अवधि [03 (तीन) मास और अतिरिक्त 30 (तीस) दिन] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./866/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. PR/G/108/2017/DD/114/2017/DC/1662/2022.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Arunabha Chattopadhyay (Membership No. 058457), 74, Purbanchal Road, North, Beside Bidhan Road, KOLKATA-700078**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Arunabha Chattopadhyay (Membership No. 058457)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh only) to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 30(Thirty) days. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Arunabha Chattopadhyay (Membership No. 058457), shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period 03(Three) months and 30(Thirty) days [03(Three) months plus additional 30(Thirty) days] with effect from 3rd January, 2025.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./866/2024-25]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012025-259914
CG-DL-E-04012025-259914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]
No. 11]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/90/2022/डीडी/92/2022/डीसी/1671/2022 और पीआर/जी/171/2022/डीडी/108/ 2022 (क्लब्ड) और पीआर/जी/260/2022/डीडी/159/2022/डीसी/1733/2023.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. मुनि कुमार गुबिलिगरी (सदस्यता संख्या 234106), नंबर 18, पुराना नंबर 1612, दूसरी मंजिल, ईस्ट एंड मेन रोड, जयनगर, 9वां ब्लॉक, बेंगलुरु-560069 को वृत्तिक और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात नीचे दी गई तालिका के अनुसार आदेश दिया :

मामला संख्या	खंड/मद जिसके अधीन दोषी ठहराया गया हो	दिया गया दंड
पीआर/जी/90/2022/डीडी/92/2022/डीसी/1671/2022 और पीआर/जी/171/2022/डीडी/108/2022(क्लब्ड)	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7)	नाम को 90 (नब्बे) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 30 (तीस) दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।
पीआर/जी/260/2022/डीडी/159/2022/डीसी/1733/2023	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग-I की मद (7) और पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2)	नाम को 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

समिति ने यह भी आदेश दिया कि दोनों मामलों में दंड एक साथ चलेगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. मुनि कुमार गुबिलिगरी (सदस्यता संख्या 234106) का नाम 3 जनवरी, 2025 से 120 (एक सौ बीस) दिन की समेकित अवधि [90 (नब्बे) दिन और अतिरिक्त 30 (तीस) दिन] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./867/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. PR/G/90/2022/DD/92/2022/DC/1671/2022 & PR/G/171/2022/DD/108/2022(Clubbed) and PR/G/260/2022/DD/159/2022/DC/1733/2023.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Muni Kumar Gubiligari (Membership No. 234106), NO 18, Old No. 1612, 2nd Floor, East End Main Road, Jayanagar, 9th Block, BENGALURU- 560069**, Guilty of Professional and/or Other Misconduct and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules ordered as per the table below:

Case No.	Clauses/Item under which held Guilty	Punishment awarded
PR/G/90/2022/DD/92/2022/DC/1671/2022 & PR/G/171/2022/DD/108/2022(Clubbed)	Item (7) of Part I of Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949	Removal of name from the Register of Members for a period of 90(Ninety) days and also imposed a Fine of Rs. 20,000/-(Rupees Twenty Thousand) only, to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 30(Thirty) days
PR/G/260/2022/DD/159/2022/DC/1733/2023	Item (7) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949	Removal of name from the Register of Members for a period of 60(Sixty) days

The Committee also ordered that the punishment shall run concurrently in both the matters. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Muni Kumar Gubiligari (Membership No. 234106)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 120(One Hundred Twenty) days [90(Ninety) days plus additional 30(Thirty) days] with effect from 3rd January, 2025.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./867/2024-25]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012025-259916
CG-DL-E-04012025-259916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]
No. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/133/2022/डीडी/113/2022/डीसी/1672/2022[पीआर/जी/148/2022(क्लब्ड)].—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. राहुल चिल्लाल (सदस्यता संख्या 230503), 3रा क्रॉस महात्मा, बसवेश्वर कॉलोनी, कालाबुर्गी-585105 (कर्नाटक), को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी ठहराया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. राहुल चिल्लाल (सदस्यता संख्या 230503) के नाम को 60 (साठ) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 30 (तीस) दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त

आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. राहुल चिल्लाल (सदस्यता संख्या 230503) का नाम 3 जनवरी, 2025 से 60 (साठ) दिन के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./868/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. PR/G/133/2022/DD/113/2022/DC/1672/2022[PR/G/148/2022(Clubbed)].—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Rahul Chillal (Membership No. 230503), 3rd Cross Mahatma, Basaveshwar Colony, KALABURAGI-585105(Karnataka)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Rahul Chillal (Membership No. 230503)** from the Register of Members for a period of 60(Sixty) days and also imposed a fine of Rs. 20,000/-(Rupees Twenty Thousand only) to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 30(Thirty) days. Since the Respondent had already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Rahul Chillal (Membership No. 230503) shall stand removed from the Register of Members for a period of 60(Sixty) days with effect from 3rd January, 2025.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exyt./868/2024-25]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012025-259917
CG-DL-E-04012025-259917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]
No. 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/103/2022/डीडी/130/2022/डीसी/1674/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. पांडिया राजन आर (सदस्यता संख्या 212861), संख्या 112, सी ए टावर्स, पहली मंजिल, कवि लक्ष्मीशा रोड, विश्वेश्वरपुरम, बेंगलुरु-560004, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी ठहराया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. पांडिया राजन आर (सदस्यता संख्या 212861) के नाम को 60 (साठ) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 30 (तीस) दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के

पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. पांडिया राजन आर (सदस्यता संख्या 212861) का नाम 3 जनवरी, 2025 से 60 (साठ) दिन की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./869/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. PR/G/103/2022/DD/130/2022/DC/1674/2022.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Pandia Rajan R (Membership No. 212861), NO 112, Seaa Towers, 1st Floor, Kavi Lakshmisha Road, Visveswarapuram, BENGALURU- 560004**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Pandia Rajan R (Membership No. 212861)** from the Register of Members for a period of 60(Sixty) days and also imposed a fine of Rs. 20,000/-(Rupees Twenty Thousand only) to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 30(Thirty) days. Since the Respondent had already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Pandia Rajan R (Membership No. 212861), shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 60 (Sixty) days with effect from 3rd January, 2025.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./869/2024-25]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012025-259918
CG-DL-E-04012025-259918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]
No. 14]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/400/2022/डीडी/400/2022/बीओडी/731/2024.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड ने सीए. रंजीत कुमार यादव (सदस्यता संख्या 525751), बी-239 द्वितीय तल, वेस्ट विनोद नगर, नरवाना रोड, दिल्ली 110092 को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी ठहराया है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सीए. रंजीत कुमार यादव (सदस्यता संख्या 525751) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही उन पर 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया। अनुशासन बोर्ड के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. रंजीत कुमार यादव (सदस्यता संख्या 525751) का नाम 3 जनवरी, 2025 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./870/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. PR/400/2022/DD400/2022/BOD/731/2024.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Ranjit Kumar Yadav (M. No. 525751), B-239 2nd Floor, West Vinod Nagar, Narwana Road, DELHI 110092**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Ranjit Kumar Yadav (M. No. 525751)** from the Register of Members for a period of 03 (Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only). In pursuance of the aforesaid Order of the Board of Discipline and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Ranjit Kumar Yadav (M. No. 525751)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 3rd January, 2025.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./870/2024-25]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012025-259920
CG-DL-E-04012025-259920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]
No. 08]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/29/2018/डीडी/78/2018/डीसी/1532/2022 .—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. आनंद कुमार झुनझुनवाला (सदस्यता संख्या 056613), 74/1, नारकेलडांगा, रोड, कोलकाता-700054), को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (5) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी ठहराया है और इसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. आनंद कुमार झुनझुनवाला (सदस्यता संख्या 056613) के नाम को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 5,00,000/- रुपए (केवल पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और

चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. आनंद कुमार झुनझुनवाला (सदस्यता संख्या 056613) का नाम 3 जनवरी, 2025 से 03 (तीन) वर्ष और 01 (एक) मास की समेकित अवधि [03 (तीन) वर्ष और अतिरिक्त 01 (एक) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./864/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. PR/29/2018/DD/78/2018/DC/1532/2022.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Anand Kumar Jhunjhunwala (Membership No. 056613), 74/1, Narkeldanga, Road, KOLKATA-700054**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (5) and (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Anand Kumar Jhunjhunwala (Membership No. 056613)** from the Register of Members for a period of 03(Three) years and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs only) to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 01(One) month. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Anand Kumar Jhunjhunwala (Membership No. 056613)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period 03(Three) years and 01(One) month[03(Three) years plus additional 01(One) month] with effect from 3rd January, 2025.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./864/2024-25]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012025-259921
CG-DL-E-04012025-259921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]
No. 09]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/40/2021/डीडी/77/2021/डीसी/1577/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. अक्षय जैन (सदस्यता संख्या 241125), डी नंबर 23-7-86, दूसरी मंजिल, शिखर दर्शन, राव बहादुर मेदा के सामने, गुंटूर 522003 (आंध्र प्रदेश), को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) और पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी ठहराया है और इसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. अक्षय जैन (सदस्यता संख्या 241125) के नाम को 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 5,00,000/- रुपए (केवल पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए

सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. अक्षय जैन (सदस्यता संख्या 241125) का नाम 3 जनवरी, 2025 से 05 (पांच) वर्ष और 01 (एक) मास की समेकित अवधि [05 (पांच) वर्ष और अतिरिक्त 01 (एक) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./865/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. PR/G/40/2021/DD/77/2021/DC/1577/2022.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Akshay Jain (Membership No. 241125), D No. 23-7-86, 2nd Floor, Shikar Darshan, Opposite Rao Bahadur Meda, GUNTUR 522003(Andhra Pradesh)**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Akshay Jain (Membership No. 241125)** from the Register of Members for a period of 5(Five) years and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs only) to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 01(One) month. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Akshay Jain (Membership No. 241125)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 05(Five) years and 01(one) month [05(Five) years plus additional 01(One) month] with effect from 3rd January, 2025.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./865/2024-25]